मैसर्स डी.एस.एम.शुगर मिल्स (धामपुर शुगर मिल), ग्राम रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल द्वारा स्थापित शुगर उत्पादन की क्षमता में प्रस्तावित विस्तारीकरण (शुगर मिल की वर्तमान क्षमता 9000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 15000 टी.सी.डी. तथा को–जनरेशन प्लांट की वर्तमान क्षमता 40 मेगावॉट से बढ़ाकर 60 मेगावॉट) किये जाने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 1533(ई), दिनांक–14.09.2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक–24.10.2018 को इकाई के परियोजना स्थल पर अपरान्ह 03:00 को सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

संदर्भित इकाई मैसर्स डी.एस.एम.शुगर मिल्स (धामपुर शुगर मिल), ग्राम रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल द्वारा स्थापित शुगर उत्पादन की क्षमता में वृद्धि (शुगर मिल की वर्तमान क्षमता 9000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 15000 टी.सी.डी. तथा को–जनरेशन प्लांट की वर्तमान क्षमता 40 मेगावॉट से बढ़ाकर 60 मेगावॉट) प्रस्तावित विस्तारीकरण किये जाने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत विस्तारीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालनार्थ अपर जिलाधिकारी (वि/रा), सम्भल की अध्यक्षता में उपरोक्त वर्णित उद्योग के परिसर में दिनांक 24.10.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य पर्या.अधिकारी(अभि.), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं स्थानीय जनमानस की उपस्थिति का विवरण संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

मुख्य पर्या.अधिकारी(अभि.), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि., ग्राम रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जनपद–सम्भल में पूर्व से 9000 टी.सी.डी. गन्ना पेराई क्षमता तथा 40 मेगावाट का कोजनरेशन प्लाण्ट स्थापित है। इकाई द्वारा विस्तारीकरण के अन्तर्गत शुगर उत्पादन की क्षमता विस्तारितकृत कर 15000 टी.सी.डी. तथा कोजनरेशन प्लाण्ट की विस्तारीकृत क्षमता 60 मेगावाट कोजनरेशन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विस्तारीकरण को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालनार्थ पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार लोकसुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। संदर्भित इकाई के विस्तारीकरण हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना एक माह पूर्व नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 19.09.2018 को प्रकाशित करायी जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है। लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वरदान एंवायरोनेट, गुरूग्राम, हरियाणा के प्रतिनिधि श्री नवादुल इस्लाम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित विस्तारीकरण पूर्व से स्थापित शुगर मिल परिसर के अन्तर्गत विस्तारीकृत किया जाना है, जिसके अन्तर्गत वृक्षारोपण/हरित क्षेत्र के लिए 20.02 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की गयी है जो कि कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत से अधिक है, 1500 पेड़/हेक्टेयर (600 पेड़/एकड़ लगाया जाना प्रस्तावित है)। विस्तारीकृत परियोजना की कुल लागत रु. 300.00 करोड़ (रू.150 करोड़– शुगर इकाई एवं रू.150 करोड़– पॉवर प्लांट), प्रदूषण नियंत्रण उपयों के लिए निर्धारित परियोजना की लागत रू. 5.50 करोड़ (मौजूदा लागत रू.3.65 करोड़, प्रस्तावित लागत रू.1.85 करोड़), सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए परियोजना के अन्तर्गत रु. 60 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के उपरान्त इकाई की कुल उत्पादन क्षमता 15000 टी.सी.डी. तथा 60 मेगावाट/दिन बिजली उत्पादन 330 दिन एक वर्ष में संचालित कर किया जाना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा प्रस्तावित उच्चीकृत उत्पादन क्षमता 15000 टी.सी.डी. (केन क्रशिंग) एवं 60 मेगावाट कोजनरेशन (विद्युत उत्पादन) हेतु 200 मी.टन/घण्टा वाष्प जनन क्षमता का वायलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त ब्वायलर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 75 मी. ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक उत्पादन प्रकिया से जनित उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकृत कर, शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शुगर मिल परिसर में स्थापित ग्रीन वेल्ट एवं अन्य कृषि भूमि में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत करया गया कि प्रस्तावित शुगर इकाई एवं कोजनरेशन की उत्पादन क्षमता के विस्तारीकरण के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जल/वायु/मृदा प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

जल प्रदूषणः–

शुगर इकाई के प्रस्तावित विस्तारीकरण के पश्चात् कुल केन क्रशिंग क्षमता 15000 टी.सी.डी. होने से 3000 घन मी. कंडन्सेट जल जनित होगा, जिसको उत्पादन प्रकिया में पुनःचकित किया जाना प्रस्तावित है, उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु 1100 कि.ली./दिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के दौरान आसपास के गांवों में स्थित हैण्डपम्पों के भूगर्भीय जल के नमूने एकत्रित किये गये तथा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि जल के मुख्य प्रचालक जैसे– पी.एच., कठोरता, क्लोराइड आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं तथा समस्त स्थलों पर जल पीने योग्य है।

उत्प्रवाह के शुद्धिकरण एवं जल प्रबन्धन की व्यवस्थाः–

उद्योग में उत्पादन क्षमता वृद्धि के पश्चात् कुल औद्योगिक उत्प्रवाह 3000 कि.ली./दिन तथा घरेलू उत्प्रवाह 50 कि. ली./दिन जनित होगा जिसके शुद्धिकरण हेतु उद्योग में पूर्व से स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को उच्चीकृत कर शुद्धिकृत उत्प्रवाह को उद्योग परिसर में स्थापित ग्रीन बेल्ट एवं अन्य कृषि भूमि में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

वायु प्रदूषणः–

प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु 200 टी.पी.एच. क्षमता का नया ब्वायलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त ब्वायलर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 72 मी. ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के दौरान प्रस्तावित परियोजना के निकट स्थित ग्रामों में परिवेशीय वायु गुणता का मापन किया गया, जिसके अनुसार प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित करने के उपरान्त परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में प्रदूषक तत्वों (एस.पी.एम., सल्फर डाईआक्साइड व नाइट्रस आक्साइड की सान्द्रता) में नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

मृदा प्रदूषणः–

उद्योग के विस्तारीकरण से 45 मी.टन/दिन फ्लाई ऐश जनित होगा जिसके निराकरण हेतु ई.एस.पी. से जनित बाटम ऐश को कृषि भूमि में कम्पोस्ट के रूप में, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार निचले क्षेत्र (लोलाईंग एरिया) में भू–भराव हेतु प्रयोग किया जाएगा।

लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित जन सूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा सुझाव/आपत्तियां दर्ज नहीं करायी गयीं। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सुझाव/आपत्तियां/प्रश्न प्रस्तुत किये गयेः–

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निवासी ग्राम सिकंदरपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि शुगर प्लाण्ट एवं कोजनरेशन के विस्तारीकरण से जो गंदा पानी निकलेगा या नहीं।

➢ यूनिट हैड श्री रनधीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि शुगर प्लाण्ट से जनित उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकृत कर उद्योग परिसर में स्थापित ग्रीन बेल्ट एवं अन्य कृषि भूमि में सिंचाई हेतु प्रयोग कर लिया जायेगा।

2. श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम भागव द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि विद्युत क्षमता 40 मेगावाट से 60 मेगावाट बढ़ाये जाने पर आस पास के क्षेत्र को बिजली मिलेगी या नहीं।

➢ यूनिट हैड श्री रनधीर सिंह अवगत कराया गया कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने से आस पास के क्षेत्र को वरीयता के आधार पर बिजली की आपूर्ति की जायेगी।

3. श्री सियाराम, निवासी ग्राम कनहऊ द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि क्षमता विस्तार से आम लोगों को क्या लाभ होगा।

➢ यूनिट हैड श्री रनधीर सिंह अवगत कराया गया कि शुगर प्लाण्ट एवं कोजनरेशन के विस्तारीकरण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी अधिक रोजगार स्रजित होंगे जिससे आस पास के क्षेत्र का विकास होगा।

4. श्री महेश चन्द्र यादव, निवासी ग्राम भागऊ द्वारा जानकारी चाही गयी कि क्षमता बढ़ाने से क्षेत्र के किसानों को क्या फायदा होगा।

➢ यूनिट हैड श्री रनधीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तार से ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेराई होगी तथा उसके बैगास से बिजली का उत्पादन किया जायेगा, उससे जो भी आय होगी उसका 70 प्रतिशत पैसा किसानों को गन्ना भुगतान के रूप में वितरित किया जाता है जिससे आस पास के क्षेत्र का विकास तथा खुशहाली होगी।

अन्त में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा इकाई द्वारा गन्ना पेराई की क्षमता 9000 टी.सी.डी. से 15000 टी.सी.डी. तथा कोजनरेशन 40 मेगावाट से 60 मेगावाट किये जाने से यहॉ उपस्थित सभी किसान सदस्यों द्वारा प्रसन्नता जाहिर की गयी। इकाई द्वारा गन्ना पर्ची किसानों को नियमानुसार वितरित की जायेगी। पर्यावरण परामर्शदाता द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार इकाई की क्षमता वृद्धि से आस पास के क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नगण्य है। उद्योग के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपस्थित सभी किसान सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से क्षमता विस्तार हेतु सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य पर्या.अधिकारी(अभि.), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

24/10/18

मुख्य पर्या.अधिकारी(अभि.),
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
सम्भल
24/10/18

मैसर्स डी.एस.एम.शुगर मिल्स (धामपुर शुगर मिल), ग्राम रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल द्वारा स्थापित शुगर उत्पादन की क्षमता में वृद्धि (शुगर मिल की वर्तमान क्षमता 9000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 16000 टी.सी.डी. तथा को-जनरेशन प्लांट की वर्तमान क्षमता 40 मेगावॉट से बढ़ाकर 60 मेगावॉट) प्रस्तावित विस्तारीकरण किये जाने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 1533(ई), दिनांक-14.09.2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक-24.10.2018 को इकाई के परियोजना स्थल पर अपरान्ह 03:00 को सम्पन्न लोक सुनवाई की उपस्थिति पंजिका-

क्र. सं.	अधिकारी / उपस्थित व्यक्ति का नाम	पदनाम एवं विभाग / निवास का पता	दूरभाष / मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	[illegible] कुमार (त्रिपाठी)	अपर जिलाधिकारी (वि/रा), सम्भल	[signature]	9454416862
2	आर. के. सिंह	[illegible] (अभियन्ता)	7839891780	[signature]
3	Navaid ul Islam	Sr. Manager Environment	8178219499	Navaid
4	S.K Bhatnagar	President (Corporate) Dhampur Sugar Mills	9910550877	[signature]
5	Randhir Singh	Unit head DSM Sugar Rajpura	4792201023	[signature]
6	Surendra Singh	Baghu	9299637815	[signature]
7	Charan Singh	Jaitora Sagarpur	9720663464	[signature]
8	Lokesh Kumar	Rajjan Singh Gawan	9758863234	[signature]
9	Dheer singh	Mubarikpur	8859864757	Dheer Singh

क्र. सं.	अधिकारी / उपस्थित व्यक्ति का नाम	पदनाम एवं विभाग / निवास का पता	दूरभाष / मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
10	उमेश कुमार सिंह	शाहजलालाबाद	9719990636	उमेश कु
11	पानसिंह	सिहावली 8988672860	8988672860	[illegible]
12	नरपालसिंह	जहाँनपुर 97	9719721915	नरपाल
13	रमेशचन्द्र शर्मा	सिकन्दरपुर वागी	9759722298	रमेश चन्द्र
14	कृष्ण गोपाल शर्मा	(भलौड़ा)	9758515621	[illegible]
15	सुखवीरसिंह	गैढ़ा	8864945632	[illegible]
16	ओमपाल सिंह	सिवौला जैतपुर	9927311937	ओमपाल सिंह
17	महेश चन्द्र	बपौरा	9759365464	[illegible]
18	मुकेश कुमार	जमदासपुर	9759260322	मुकेश कुमार
19	सूरेसिंह	जयपालपुर	8954391579	सूरेसिंह
21	भेजराजसिंह	डकौना	8958421711	भेजराजसिंह
22	राजपालसिंह	देवराखूरा	9627582258	राजपालसिंह